12

संख्या : /XLI-1/2015–57/(प्रशि0)/15 टी0सी0

प्रेषक,

आर0के0 सुधांशु
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण, विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक : 15 अक्टूबर, 2015**

विषयः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून परिसर में प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा लैण्ड स्कैपिंग हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपने पत्र संख्या 2683/डीटीईयू/वृहद निर्माण/प्रस्ताव/2014–15, दिनांक 26 फरवरी, 2015, तथा संशोधित आंगणनों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 देहरादून इकाई–2 के पत्र संख्याः 403/डीडीएन0/रानिनि/एच–237/2015, दिंनाक 26.05.2015 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून परिसर में प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा लैण्ड स्कैपिंग के निर्माण हेतु संशोधित आंगणन रू0 178.63.लाख के उपलब्ध कराये गये है, जिसको टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त रू0 148.14लाख + रू0 30.49लाख (सिविल कार्य + उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार क्रय) अर्थात कुल रू0 178.63लाख औचित्यपूर्ण पाया गया। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 400/XXVII(1)/2015, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), देहरादून परिसर में प्रशासनिक भवन के द्वितीय तल के निर्माण तथा लैण्ड स्कैपिंग के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रू॰ में रू0 40.00लाख (रूपये चालीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(1) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा कार्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(4) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्ये–नजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करने से पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(5) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् एन0सी0वी0टी0 के मानकों के अनुसार कार्य कराया जाए।

(6) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराया जाना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व निदेशक का होगा।

(7) समस्त प्राविधानों पर कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

(8) उक्त कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए इन्हें समयबद्ध ढंग से निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूर्ण जाना सुनिश्चित किया जाय। विलम्ब के कारण आगणन के पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।

(9) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से आवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में थर्ड पार्टी चेंकिग की व्यवस्था की जाय जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय देय सेन्टेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा गुणवत्ता का समस्त उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा।

(10) आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी सस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे। मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.06 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(12) कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजाइन/मानक पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु मानकों के अनुसार प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये तदनुसार कार्यवाही की जाये।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 80–सामान्य–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन– 07–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण–00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या – 67(P)/XXVII(1)/2015–16, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0के0 सुधांशु)
सचिव।

संख्या : 203 (1)/XLI-1/15 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
3. जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–5/नियोजन विभाग।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), सर्वे चौक, देहरादून।
7. परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून इकाई–2, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनूप कुमार मिश्रा)
अनु सचिव।